E-mail: registrar@csjmu.ac.in
registrarcsjmuknp@gmail.com

☏: 0512-2246609
☏: 0512-2582251

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद् द्वारा **A++** ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय
(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
(Formerly Known as Kanpur University Kanpur-208024)

Pvt_Crips_Affiliation Order_Temporary 2024-25

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब. / 86 /2024 दिनांक : 10/05/2024

सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा (दिनांकः 10.05.2024) एवं कार्यपरिषद की अनुमति की प्रत्याशा में शासन के पत्र संख्याः 2422/सत्तर-3-2023, दिनांक 28 अगस्त, 2023 एवं 2508/सत्तर-3-2023, दिनांक 05 सितम्बर, 2023 के अनुपालन में **क्रिप्स के माध्यम से NIRF रैंकिंग हेतु क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर को नये कौशल अन्तर्निहित (Skill Embedded) 03 वर्षीय डिग्री कोर्सेस स्नातक स्तर पर बी०बी०ए०-रिटेल एण्ड बी०बी०ए० हेल्थकेयर पाठ्यक्रम** में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **दिनांक 01.07.2024** से आगामी तीन वर्षो (पाठ्यक्रम अवधि) हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. संस्था/महाविद्यालय की स्थलीय/ऑन-लाइन निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-**बी** में इंगित समस्त कमियों (**यथा-** याचित पाठ्यक्रम के शिक्षक अनुमोदित नहीं है, नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 एवं अग्निशमन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, शपथपत्र में फोटो चस्पा नहीं है) को **दिनांक 15 जुलाई, 2024 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण** करते हुए परिनियम 13.30 *"The Executive Council may direct a college not to admit students to a particulars class if the conditions laid down for starting the classe have, in the opinion of the Executive Council been disregarded by the college concerned. The classes may however be restarted with the prior permission of the Excutive Council when the conditions are fulfilled to its satisfaction."* की व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत कक्षा संचालन (*Starting the Class*) की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
2. यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (*Starting the Class*) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अध्ययन/अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जायगा। **(मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित न होने की स्थिति में)**
3. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तथा भूमि व भवन के सम्बन्ध मे प्राप्त शिकायती पत्रों में उठाये गये बिन्दुओं का पुष्टिकरण भविष्य मे होता है तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
7. महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
8. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
9. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या:- 226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
10. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांकः 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा संचालन पूर्व संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराते हुए नियुक्ति, अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से **दिनांक 15 जुलाई, 2024** तक उपलब्ध कराया जायेगा।
11. महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अधीन किया जाएगा।
12. विधि पाठ्यक्रमों में महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिये जायेंगे। सत्र की गणना बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा सीट आवंटन के सत्र से की जायेगी।
13. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में सम्बद्धता आदेश प्रदान करने एवं सीट आवंटन तथा कक्षा संचालन की अनुमति के पश्चात ही महाविद्यालय द्वारा प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा।

डॉ० (अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3 एवं 6, उ०प्र० शासन, लखनऊ
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
3. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. प्रबन्धक/प्राचार्य, **क्राइस्ट चर्च कालेज**, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. वैय० सहायक परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
6. सम्बन्धित को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश की प्रति महाविद्यालय के कालेज लॉग-इन में अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, सी०डी०सी०/डीन, सम्बद्धन।
8. प्रभारी, पी०एम०यू०।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

डॉ० (अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव